




| श्री ||



श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

इन्दौर केम्प

140

निगरानी प्रकरण क्रमांक

/पी.बी.आर./17

PBR/निगरानी/खरगोन/भूरा/2017/4039

श्री. सुन्दर लाल आशी
ब्लाक 26/01 2017
म. प्र. प्र. वि. वि.

1 रामकरण पिता गेंदालाल कुशवाह

2 शिवनारायण पिता गेंदालाल कुशवाह

3 कन्हैयालाल पिता गेंदालाल कुशवाह

4 पंचानन पिता गेंदालाल कुशवाह

5 सुमनाबाई पिता गेंदालाल कुशवाह

6 सकुबाई पिता गेंदालाल कुशवाह

7 सीमाबाई पति शिवनारायण

8 सीमाबाई पति कन्हैयालाल

9 लक्ष्मीबाई पति पंचानन

10 कलाबाई पति रामकरण

सभी निवासी :- ग्राम मेंगोंव ,तहसील खरगोन

.. निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1 प्रेमचन्द्र पिता किशन साठे

2 सन्तोप पिता प्रेमचन्द्र साठे

3 गुलाब चन्द्र पिता किशन साठे

4 गंगाधर पिता शंकर जोशी

5 रामु पिता गोपाल वर्मा

6 जगदीश पिता गोपाल वर्मा

7 दिनेश पिता कैलाश

8 विनोद पिता गोपाल वर्मा

सभी निवासी :-ग्राम मेंगोंव ,तहसील खरगोन

..... प्रत्यर्थागण


निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता
के तहत

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :-

निगरानीकर्तागण द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय खरगोन द्वारा रास्ते के विवाद मे विधि विपरित तरिके से, सिमांकन का प्रकरण दर्ज किये बगैर , मात्र मंत्री महोदय को संबोधित रास्ते कि शिकायत के आवेदन पत्र से ,अपने कलेक्टर कार्यालय ,जिला खरगोन के आदेश कमांक /1349/भु अभि-8/17 दिनांक 27/7/17 से किसी भुमि का हवाला दिये बगैर सिमांकन का आदेश दिया गया ,जिसके प्रकाश मे सिमांकन दल द्वारा दिनांक 13/9/17 को निगरानीकर्ता और अन्य पडोसी भुमिस्वामीयो को सिमांकन कि सुचना दिये बगैर उनकी अनुपस्थिती मे सिमांकन कि कार्यवाही कर दिनांक 19/9/17 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता और उनके परिवार वालो की भुमि को कम कर शासकिय भुमि बताते हुए ,प्रत्यार्थीगण को नवीन रास्ता दिला दिया है ।

जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित निगरानीकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बगैर उसकी अनुपस्थिती मे विवादित सीमांकन की कार्यवाही कर दी गई,

अतः ऐसा आदेश प्रवर्त रहता है तो निगरानीकर्ता को अपरिमित हानि होगी व न्याय की विफलता होगी व निगरानीकर्ता को अपूर्णाय क्षति होगी ।



पत्रिका क्र/२०१७/२०३७

स्थान तथा दिनांक	रामकटण / पुणे जिल्हा कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिप्रेतों आदि के हस्ताक्षर
------------------	---	--

22.12.2017

आवेदकगण की ओर से श्री
बुद्धेश्वर लाल आग्निवाक्य (पदाधिकारी)
ग्राह्यता या बुना गया। आवेदकगण
के आग्निवाक्य द्वारा ही यह जानकारी
एवं प्रस्तुत छाया प्रतिष्ठा के अवर्धन
से यह प्रतीत होता है कि उनकी भूमि
से रास्ता दिये जाने की कोई प्रशासकीय
कार्यवाही कबेक्टर द्वारा की जा रही है।
यदि यह प्रशासकीय कार्यवाही है, अतः
उचित होगा कि आवेदक अपना पक्ष
कबेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। इस
निर्णय के अन्तर्गत छाया प्रति आवश्यक
विचार हेतु कबेक्टर को भेजी जाये।
आवेदकगण दिनांक 20.12.2017 को
कबेक्टर के समक्ष उपस्थित हैं।

ml

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष